

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 2232/2023

ईशाक खान

—अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, जयपुर विद्युत निगम निमिटेड, विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर, राजस्थान।
2. सचिव (प्रशासन), विद्युत निगम निमिटेड, विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर, राजस्थान।
3. अधिशाषी अभियंता, विद्युत निगम निमिटेड, अलवर, राज।
4. श्री महेश चन्द देशवाल, ए.ई.एन. (ग्रामीण), विद्युत निगम निमिटेड, रामगढ़ जिला अलवर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.08.2023

आदेश की दिनांक : 05.09.2023

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिनेश यादव, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 25.08.2023 (अनुलग्नक-1) के द्वारा XEN (CD), Alwar से XEN-TA to SE (O&M), Deeg किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के ही केडर के अन्य व्यक्ति लोकेश कुमार को SE (O&M). Deeg पदस्थापित किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी को अपने केडर के व्यक्ति के अधीन रखा गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे तर्क है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.03.2025 को होनी है। इस प्रकार अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष 6 माह का समय ही शेष है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 3 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)